कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.)

-: गणवेश प्रदाय हेतु संक्षिप्त निविदा :-

क्र./ 1121 /शा.शि./क्रीड़ा/निविदा/2019–20 जशपुर, दिनांक 27/5/19

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर (क्रीड़ा शाखा) की ओर से अनुबंध पंजीकृत फर्मों से वर्ष 2019–20 के लिए खेल क्षेत्र मुख्यालय–जशपुर के खिलाड़ियों हेतु क्रीड़ा सामग्री (गणवेश, जूता (जोगर)–मोजा, क्रिकेट हेतु सफेद अपर–लोवर) के लिए ओपन टेन्डर (खुली निविदा) मुहर बंद लिफाफे में दिनांक **31.05.2019 से 20.06.2019 दोपहर 2:30 बजे** तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **रू. 1000.00 (रू. एक हजार मात्र)** भुगतान कर आवश्यक शर्तों की विस्तृत जानकारी सहित कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षर के कार्यालय के क्रीड़ा शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि :– 20.06.2019 (अपरान्ह 12:30 बजे तक)

निविदा खोलने की तिथि :– 20.06.2019 (अपरान्ह 3:30 बजे)

27.5.19

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–जशपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./ 1122 /शा.शि./क्रीड़ा/निविदा/2019–20 जशपुर, दिनांक 27/5/19

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक जनसंपर्क विभाग रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ। 01 स्थानीय समाचार पत्र तथा 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का कृपा करें।
3. कलेक्टर, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क, जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (NIC) जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ। निविदा हेतु नियम एवं शर्तें को जिले के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।

27.5.19

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–जशपुर (छ.ग.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र./ 1123 /शा.शि./क्रीड़ा/निविदा/2019–20 जशपुर, दिनांक 27/5/19

-: निविदा आमंत्रण :-

खेल क्षेत्र मुख्यालय–जशपुर के खिलाड़ियों हेतु रेडिमेड गणवेश, जूता (जोगर)–मोजा, क्रिकेट हेतु सफेद अपर–लोवर सामग्री क्रय हेतु सामग्री के निर्माता या व्यापार चिन्ह धारक से दिनांक 20.06.2019 को अपरान्ह 2:30 बजे तक निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा हेतु नियम व शर्तें :-

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 20.06.2019 को अपरान्ह 12:30 बजे तक शुल्क 1000/– नगद जमा कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर से प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा संबंधी जानकारी **NIC** जशपुर के वेब साईट **http://jashpur.nic.in** से डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र दिनांक 20.06.2019 को अपरान्ह 2:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर में पंजीकृत डाक से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा पंजीकृत डाक के द्वारा ही स्वीकार किये जावेंगे। अंकित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा उसी तिथि को अपरान्ह 3:30 बजे खोला जायेगा।
4. प्रपत्र पात्रता से संबंधित जानकारी लिफाफा **A** में प्रस्तुत करना होगा तथा दर सूची लिफाफा **B** में प्रस्तुत करना होगा।
5. लिफाफा **A** खोलकर विक्रेता फर्म के पात्रता की जांच उपरान्त सही पाये जाने पर ही लिफाफा **B** मूल्य सूची खोला जायेगा।
6. सुरक्षा निधि की राशि रूपये 30000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के पक्ष में तैयार कर लिफाफा **A** में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा पारित होने के स्थिति में सामग्री पूर्ति उपरान्त ही सुरक्षा निधि वापस की जा सकेगी। निविदा अमान्य होने की स्थिति में अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक 15 दिवस के भीतर कार्यालय से प्राप्त करना फर्म की जिम्मेदारी होगी।
7. निविदाकार/कम्पनी/फर्म का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा वाणिज्य कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अधिकृत डीलर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. संबंधित फर्म/निविदाकार/कम्पनी के पेन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. निविदाकार/फर्म/कम्पनी का विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न कि छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11. फर्म/कम्पनी को निर्धारित समय में निर्धारित मापदण्ड एवं संख्या के अनुरूप सामग्री प्रदाय करनी होगी। सामग्री समयावधि में प्रदाय न होने की स्थिति में सामग्री यदि अन्यत्र से व्यवस्था करनी पड़े तो लगने वाली अधिक राशि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा निधि से वसूल की जायगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
12. सामग्री प्रदाय में विलम्ब सामग्री का आंशिक प्रदाय करने पर सामग्री की घटिया क्वालिटी होने पर या सामग्री के संबंध में किसी अन्य प्रकार की शिकायत होने पर सुरक्षा निधि से वसूली/सामग्री जब्त करने संबंधी/कोई अन्य कार्यवाही करने संबंधी पूर्ण अधिकार क्रय समिति को होगा।
13. निविदा संबंधी विधिक प्रकरण जशपुर स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।
14. निविदा निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति के सदस्यों को होगा।
15. सामग्री प्रदाय से संबंधित देयक प्राप्त होने के पश्चात ततसंबंधी भुगतान शासन के नियमों के तहत किया जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम के प्रावधान लागू होंगे।
16. प्रत्येक निविदाकार को खेल सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त सामग्री में ट्रेडमार्क या निर्माता कम्पनी का लोगो लगा होना अनिवार्य होगा।
17. क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची आवेदन के साथ संलग्न करें।
18. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा की दरें अंकों एवं शब्दों में लिखा जावे। यदि अंको एवं शब्दों में दरें भिन्न हो तो, जो भी दर कम होगी वहीं मान्य होगी।
19. सामग्री का दर न्यूनतम हो पर सामग्री के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देकर क्रय किया जावेगा।
20. निविदा खोलते समय निविदाकार या इसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें। प्रतिनिधि को अधिकार पत्र लाना होगा।
21. निविदा प्रपत्र एवं प्रपत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किये गए समस्त दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होने चाहिए।
22. विलम्ब से प्राप्त अस्पष्ट, सशर्त, अपूर्ण लिखावट में कांट–छाट या उपरिलेखन, शब्दों एवं अंकों में लिखे गए मूल्य में भिन्नता आदि के आधार पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
23. निविदा के साथ सभी टेक्स जोड़कर **(All Taxes Included)** दर में दिया जावे।
24. जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर निविदा स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। अतः निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। उन्हें किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

27.5.19

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–जशपुर (छ.ग.)